



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032026-271015
CG-DL-E-18032026-271015

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1314]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2026/फाल्गुन 25, 1947

No. 1314]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2026/PHALGUNA 25, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026

का.आ. 1373(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में Greenfield Expressway के कि.मी. 290 से कि.मी. 369 (414001) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र.१) अहमदनगर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में Greenfield Expressway के कि.मी. 290 से कि.मी. 369 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: अहमदनगर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अहमदनगर					
गांव का नाम: सारोलाबद्धी					
1	215 P	निजी	एग्रीकल्चर	1.071 (हेक्टेयर)	1.071
गांव का नाम: मदडगाव					
2	260 P	निजी	एग्रीकल्चर	0.0738 (हेक्टेयर)	0.0738
3	291 P	निजी	एग्रीकल्चर	0.0008 (हेक्टेयर)	0.0008
4	40 P	निजी	एग्रीकल्चर	0.0165 (हेक्टेयर)	0.0165
5	62 P	निजी	एग्रीकल्चर	0.056 (हेक्टेयर)	0.056
6	85 P	निजी	एग्रीकल्चर	0.1308 (हेक्टेयर)	0.1308
7	Road	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर	0.0783 (हेक्टेयर)	0.0783
गांव का नाम: चिचोंडी पाटिल					
8	117 P	निजी	एग्रीकल्चर	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
9	119 P	निजी	एग्रीकल्चर	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
10	45 P	निजी	एग्रीकल्चर	0.0039 (हेक्टेयर)	0.0039
11	606 P	निजी	एग्रीकल्चर	0.0621 (हेक्टेयर)	0.0621
12	750 P	निजी	एग्रीकल्चर	0.0311 (हेक्टेयर)	0.0311
13	763 P	निजी	एग्रीकल्चर	0.0175 (हेक्टेयर)	0.0175
14	775 P	निजी	एग्रीकल्चर	0.0614 (हेक्टेयर)	0.0614
15	78	निजी	एग्रीकल्चर	0.0276 (हेक्टेयर)	0.0276
16	783 P	निजी	एग्रीकल्चर	0.0039 (हेक्टेयर)	0.0039

17	784 P	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.0319 (हेक्टेयर)	0.0319
18	788 P	निजी	एग्रीकल्चर	0.0643 (हेक्टेयर)	0.0643
19	837 P	निजी	एग्रीकल्चर	0.1093 (हेक्टेयर)	0.1093
20	86 P	निजी	एग्रीकल्चर	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
21	930 P	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.2978 (हेक्टेयर)	0.2978
22	937 P	निजी	एग्रीकल्चर	0.0415 (हेक्टेयर)	0.0415
23	954 P	निजी	एग्रीकल्चर	0.0308 (हेक्टेयर)	0.0308
24	955 P	निजी	एग्रीकल्चर	0.0029 (हेक्टेयर)	0.0029
25	979 P	निजी	एग्रीकल्चर	0.2781 (हेक्टेयर)	0.2781
26	982 P	निजी	एग्रीकल्चर	0.1428 (हेक्टेयर)	0.1428
27	983 P	निजी	एग्रीकल्चर	0.0258 (हेक्टेयर)	0.0258
28	997 P	निजी	एग्रीकल्चर	0.0273 (हेक्टेयर)	0.0273
29	Road	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.9198 (हेक्टेयर)	0.9198
गांव का नाम: कोल्हेवाडी					
30	141 P	निजी	एग्रीकल्चर	0.0266 (हेक्टेयर)	0.0266
31	72 P	सामान्य	एग्रीकल्चर	0.3904 (हेक्टेयर)	0.3904
32	73 P	सामान्य	एग्रीकल्चर	0.1781 (हेक्टेयर)	0.1781
33	74 P	निजी	एग्रीकल्चर	0.0441 (हेक्टेयर)	0.0441
34	75 P	निजी	एग्रीकल्चर	0.6066 (हेक्टेयर)	0.6066
35	76 P	निजी	एग्रीकल्चर	0.0062 (हेक्टेयर)	0.0062
36	River	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
Total					4.96

[फा. सं NHAI/Ahmednagar/ASA/LA/2022/3A3.]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th March, 2026

S.O. 1373(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Greenfield Expressway in the stretch of land from Km. 290 to Km. 369 (New Collector Office Building, Aurangabad Road, Ahmednagar) in the district of AHMEDNAGAR in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Dy Collector (Land Acquisition No.1) Ahmednagar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Greenfield Expressway in the stretch of land from Km. 290 to Km. 369 (New Collector Office Building, Aurangabad Road, Ahmednagar) in the district of AHMEDNAGAR in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: AHMEDNAGAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Ahmednagar					
Village: Sarola Baddhi					
1	215 P	Private	Agriculture	1.071 (Hectare)	1.071
Village: Madadgaon					
2	260 P	Private	Agriculture	0.0738 (Hectare)	0.0738
3	291 P	Private	Agriculture	0.0008 (Hectare)	0.0008
4	40 P	Private	Agriculture	0.0165 (Hectare)	0.0165
5	62 P	Private	Agriculture	0.056 (Hectare)	0.056
6	85 P	Private	Agriculture	0.1308 (Hectare)	0.1308
7	Road	Government	Non Agriculture	0.0783 (Hectare)	0.0783
Village: Chichondi Patil					
8	117 P	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
9	119 P	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
10	45 P	Private	Agriculture	0.0039 (Hectare)	0.0039
11	606 P	Private	Agriculture	0.0621 (Hectare)	0.0621

12	750 P	Private	Agriculture	0.0311 (Hectare)	0.0311
13	763 P	Private	Agriculture	0.0175 (Hectare)	0.0175
14	775 P	Private	Agriculture	0.0614 (Hectare)	0.0614
15	78	Private	Agriculture	0.0276 (Hectare)	0.0276
16	783 P	Private	Agriculture	0.0039 (Hectare)	0.0039
17	784 P	Government	Agriculture	0.0319 (Hectare)	0.0319
18	788 P	Private	Agriculture	0.0643 (Hectare)	0.0643
19	837 P	Private	Agriculture	0.1093 (Hectare)	0.1093
20	86 P	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
21	930 P	Private	Non Agriculture	0.2978 (Hectare)	0.2978
22	937 P	Private	Agriculture	0.0415 (Hectare)	0.0415
23	954 P	Private	Agriculture	0.0308 (Hectare)	0.0308
24	955 P	Private	Agriculture	0.0029 (Hectare)	0.0029
25	979 P	Private	Agriculture	0.2781 (Hectare)	0.2781
26	982 P	Private	Agriculture	0.1428 (Hectare)	0.1428
27	983 P	Private	Agriculture	0.0258 (Hectare)	0.0258
28	997 P	Private	Agriculture	0.0273 (Hectare)	0.0273
29	Road	Government	Non Agriculture	0.9198 (Hectare)	0.9198
Village: Kolhewadi					
30	141 P	Private	Agriculture	0.0266 (Hectare)	0.0266
31	72 P	Common	Agriculture	0.3904 (Hectare)	0.3904
32	73 P	Common	Agriculture	0.1781 (Hectare)	0.1781
33	74 P	Private	Agriculture	0.0441 (Hectare)	0.0441
34	75 P	Private	Agriculture	0.6066 (Hectare)	0.6066
35	76 P	Private	Agriculture	0.0062 (Hectare)	0.0062
36	River	Government	Non Agriculture	0.001 (Hectare)	0.001
Total					4.96

[F. No. NHAI/Ahmednagar/ASA/LA/2022/3A3]

SHAIKH AMINKHAN, Director